अन्य काम में होने से पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक 9/9/22 को पेश हो।

9/9/22 पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने का कथन कर बहस करना चाहा।
अत: उभय पक्षों बहस सुनी।

— लगातार

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूरोड
बइजलास अरविन्द शर्मा आर0ए0एस0

प्रार्थीः–

कान्ति लाल पुत्र कपूर चन्द जैन निवासी आबूरोड

बनाम

अप्रार्थीः–

श्री तहसीलदार, तहसील कार्यालय आबूरोड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

प्रार्थना पत्र संख्या 22/2022
दिनांकः– 09-09-2022

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेशकर कथन किया कि मौजा तरतोली पटवार हल्का आबूरोड के खसरा नंबर 530/87 रकबा 0.1391 हैक्टेयर एवं 472/86 रकबा 0.9104 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थी के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जिससे प्रार्थी ने माह दिसम्बर 2020 मे अपने स्वयं की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु अप्रार्थी को आवेदन किया जिस हेतु राजकोष मे रूपये 100/– जरिये चालान नंबर 71 दिनांक 18.12.2020 से राशि जमा करवाई जिस पर अप्रार्थी ने दिनांक 18.12.2020 को आदेश जारी कर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को मोमीया ट्रेस से सीमाज्ञान करवाने के निदेश दिया। जिस पर दिनांक 7.01.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक ने पडोसी खातेदार से विवाद हो जाने से सीमाज्ञान नही किया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी अप्रार्थी को सीमाज्ञान करने के निर्देश दिये परन्तु अप्रार्थी ने आज दिन तक सीमाज्ञान नही किया। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का कथन किया है।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूरोड

बइजलास अरविन्द शर्मा आर0ए0एस0

प्रार्थीः–

कान्ति लाल पुत्र कपूर चन्द जैन निवासी आबूरोड

बनाम

अप्रार्थीः–

श्री तहसीलदार, तहसील कार्यालय आबूरोड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र संख्या 22/2022

दिनांकः– 09-09-2022

सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेशकर कथन किया कि मौजा तरतोली पटवार हल्का आबूरोड के खसरा नंबर 530/87 रकबा 0.1391 हैक्टेयर एवं 472/86 रकबा 0.9104 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थी के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जिससे प्रार्थी ने माह दिसम्बर 2020 मे अपने स्वयं की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु अप्रार्थी को आवेदन किया जिस हेतु राजकोष मे रूपये 100/– जरिये चालान नंबर 71 दिनांक 18.12.2020 से राशि जमा करवाई जिस पर अप्रार्थी ने दिनांक 18.12.2020 को आदेश जारी कर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को मोमीया ट्रेस से सीमाज्ञान करवाने के निदेश दिया। जिस पर दिनांक 7.01.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक ने पडोसी खातेदार से विवाद हो जाने से सीमाज्ञान नही किया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी अप्रार्थी को सीमाज्ञान करने के निर्देश दिये परन्तु अप्रार्थी ने आज दिन तक सीमाज्ञान नही किया। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का कथन किया है।

सहायक कलेक्टर

आबूरोड (सिरोही)